



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274851
CG-DL-E-27072026-274851

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3911]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 3911]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

का.आ. 4081(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित व्यक्ति को, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

अनुसूची	
प्राधिकारी का नाम और पता (1)	अधिकारिता का क्षेत्र (2)
श्रीमती ममता कुमारी, सहायक आयुक्त (पुनः-आवंटन और पुनः-वितरण), बेंगलूर विकास प्राधिकरण, बेंगलूर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन्स प्रभाग, बेंगलूर टर्मिनल, देवनगोथी,	कर्नाटक राज्य एन्नोर-थिरुवल्लूर-बेंगलूर-पुदुचेरी- नागापट्टिनम-मदुरै-तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन

होसाकोटे तालुक, बेंगलुरु ग्रामीण जिला, कर्नाटक - 560067	
---	--

इससे पूर्व एस.ओ .संख्या 4221 (अ दिनांक (30.08.2018 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में दिनांक 31.08.2018 प्रकाशित कर्नाटक राज्य में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए पहले अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी श्रीमती एशैलजा .एम . प्रियदर्शनी, को डी -नोटिफ़ाइड समझा जाए।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/77/2018-जीपी-II(ई-41940)]

रमेश कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2026

S.O. 4081(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the “Competent Authority” under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the said Schedule:

SCHEDULE	
Name and address of the Authority (1)	Area of jurisdiction (2)
Smt. Mamatha Kumari, Assistant Commissioner (Re-allotment and Re-allocation), Bangalore Development Authority, Bengaluru Indian Oil Corporation Limited Bengaluru Terminal, Devanagonthi, Hosakote Taluk, Bengaluru Rural District, Karnataka – 560067	State of Karnataka Ennore–Thiruvallur–Bengaluru– Puducherry–Nagapattinam– Madurai–Tuticorin Natural Gas Pipeline

Earlier notified Competent Authority for Indian Oil Corporation Limited in Karnataka State, Smt. A. M. Shylaja Priyadarshini, vide SO No 4221(E) 30.08.2018 published in the Gazette of India dated 31.08.2018 stands de-notified.

This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/77/2018-GP-II(E-41940)]

RAMESH KRISHNA, Under Secy.